बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा प्रसाद राय पथ, आर0 ब्लॉक, रोड नं0–2, पटना–800001

पत्रांक–4:09:50:01:2004(पार्ट–2):– 11557 दिनांक– 12/11/17

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक,
(सामान्य प्रशासन),
निगम मुख्यालय,
पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः– **सेवान्त लाभ भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निगम कर्मियों के सेवानिवृति के पश्चात वर्षों तक सेवान्त लाभ भुगतान संबंधित मामला लंबित रहता है। जिसके कारण बाध्य होकर सेवानिवृत कर्मी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। इससे सेवानिवृत कर्मियों को आर्थिक क्षति तो होती हीं है साथ हीं साथ निगम को भी अनावश्यक मुकदमेबाजी झेलना पड़ता है।

सेवानिवृति के पश्चात निगम का यह दायित्व बनता है कि ससमय सेवान्त लाभ का भुगतान किया जाय।

समीक्षा के क्रम में प्रायः यह देखा जाता है कि जिला कार्यालय द्वारा पुरी छानबीन किये बिना हीं मात्र विपत्र बनाकर प्राधिकार पत्र हेतु अधियाचना कर दी जाती है, जो उचित नहीं है। बिहार राज्य खाद्य निगम व्यवसायिक संस्था है जिसमें काफी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का Transaction होता है। इसकी पुरी संभावना बनी रहती है कि कर्मियों द्वारा अपनी सेवा अवधि में कहीं न कहीं इस खाद्यान्न Transaction का कार्य संचालित किया गया हो, जिसमें क्षति/गबन हुई होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सेवानिवृति लाभ भुगतान के पूर्व पूरी तरह छानबीन कर ली जाय जिससे निगम का कोई पावना न रह जाय। सेवानिवृत कर्मियों के सेवान्त लाभ के ससमय भुगतान हेतु निम्न कार्रवाई की जायः–

1. सर्वप्रथम इसकी जाँच कर ली जाय कि योगदान की तिथि से सेवानिवृति की तिथि तक सेवापुस्त सत्यापित है या नहीं। यदि सेवापुस्त सत्यापन नहीं हो तो संबंधित कार्यालय से सत्यापित करा ली जाय।
2. सेवापुस्त सत्यापन के आधार पर पुरी सेवा अवधि की गणना करते हुए अव्यवहृत उपार्जित अवकाश की गणना कर छुट्टी लेखा अद्यतन की जाय।
3. कुल सेवा अवधि के आधार पर ग्रेच्युटी की गणना की जाय।
4. अव्यवहृत अवकाश के समतुल्य देय राशि एवं उपादान की राशि का विपत्र बनाने के पूर्व सेवापुस्त के अनुसार जिस–जिस जिला में कार्यरत रहे हैं उस जिला से बकाया रहित प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली जाय। साथ हीं बकाया संबंधी प्रतिवेदन उप महाप्रबंधक, दावा से भी प्राप्त कर ली जाय।

5. बेहतर होगा उपर्युक्त कार्रवाई की प्रक्रिया सेवानिवृति के तीन माह पूर्व हीं प्रारम्भ कर ली जाय, जिससे ससमय भुगतान हो सके। यदि आवश्यक हो तो NOC प्राप्त करने के लिए अपने किसी कर्मी को भी प्रतिनियुक्त की जाय।
6. सेवापुस्त सत्यापन, सेवा अवधि की गणना एवं सभी संबंधित पदस्थापन स्थल से बकाया रहित प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात जिला प्रबंधक द्वारा अव्यवहृत अवकाश एवं उपादान की राशि भुगतान हेतु गणना का सार अंकित करते हुए कार्यालय आदेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में विपत्र तैयार करते हुए आवंटन की मांग मुख्यालय से किया जायेगा।
7. सेवान्त लाभ के भुगतान की जाबाबदेही उस कार्यालय की है जिस कार्यालय से कर्मी सेवानिवृत हुए हैं। किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त वर्णित प्रक्रिया पुरी किये बिना भुगतान हेतु आवंटन की मांग नहीं की जायेगी। यदि ससमय भुगतान नहीं होता है तथा इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकुल टिप्पणी या आदेश पारित किया जाता है तो संबंधित क़ार्यालय प्रधान जबाबदेह होंगें।

अनुरोध है कि सेवानिवृति लाभ भुगतान के संबंध में ससमय कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

16.11.17

मुख्य महाप्रबंधक,
(सामान्य प्रशासन)।